शासनादेश संख्या-14/2016/बी-2-739/दस-2016-2/2016
पंचायती राज अनु0-3 की पत्रा.सं.-100(15)/2015

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 20 मई, 2016

विषय:-चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश की जिला पंचायतों को सामान्य समनुदेशन की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश की जिला पंचायतों को दी जाने वाली सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि 171000.00 लाख की 5% धनराशि (ए.टी.आर. में उल्लिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार आडिट अनुशासन हेतु) एवं 0.15% धनराशि संस्तुति संख्या-23 के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान हेतु को छोड़कर 94.85% धनराशि में से 1% परिक्रमी निधि की धनराशि को घटाते हुए अवशेष 93.85% धनराशि **रूपये 160483.50 लाख (रूपये एक हजार छः सौ चार करोड़ तिरासी लाख पचास हजार मात्र)** संस्तुति संख्या-57 के अनुसार संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार जिला पंचायतों को दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

निकाय का नाम	स्वीकृत धनराशि
जिला पंचायतें	160483.50 लाख

2- संलग्न सूची में उल्लिखित जिला पंचायतों को धनराशि तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दी जा रही है।

3- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही हैः-

(1) जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शासनादेश के साथ संलग्न सूची में इंगित जिले के सम्मुख कॉलम-3 में जिला पंचायतों के लिये आवंटित धनराशि के अनुसार, **छः बराबर किश्तों में (प्रथम किश्त तत्काल, द्वितीय किश्त माह जुलाई, 2016 में, तृतीय किश्त माह सितम्बर, 2016 में, चतुर्थ किश्त माह नवम्बर, 2016, पाँचवीं किश्त माह जनवरी, 2017 तथा छठीं किश्त माह मार्च, 2017 में)** कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित कर ई-पेमेंट के द्वारा सीधे जिला पंचायतों के खाते में जमा की जायेगी। निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ई-पेमेंट हेतु जिला पंचायतों का बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.डी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है वह सही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या व दिनांक सहित प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन गठित जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक को प्रेषित की जायेगी जो अपने स्तर से धनराशि के आहरण की संहत सूचना पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(4) पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अंतर्गत लेखाशीर्षक ''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेतर-196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन'' के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-14/2016/बी-2-739/दस-2016-2/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
4- पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
9- उपनिदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
10- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
11- निदेशक, पंचायती राज (लेखा), इन्दिरा भवन, 10 वां तल, लखनऊ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-14 /2016/बी-2-739/दस-2016-2/2016 दिनांक 20 मई, 2016 का संलग्नक

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला पंचायतों को वर्ष 2016-17 में सामान्य समनुदेशन की धनराशि का आवंटन

3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर

196- जिला पंचायतों/ जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-

03- राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत समनुदेशन -

0301- सामान्य समनुदेशन -

28- समनुदेशन

अनुदान संख्या-61 **(धनराशि रु0 में)**

क्र0सं0	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदेशन
1	2	3
1	मेरठ	216010790
2	बागपत	162730269
3	गाजियाबाद	193543100
4	गौतमबुध्दनगर	159841566
5	बुलन्दशहर	263192940
6	सहारनपुर	253242962
7	मुजफ्फरनगर	228368020
8	आगरा	259822786
9	अलीगढ़	246984106
10	हाथरस	168828642
11	एटा	166902840
12	कासगंज	146360952
13	मैनपुरी	176852816
14	मथुरा	204455978
15	फिरोजाबाद	195468902
16	बरेली	264637292
17	बदायूँ	233824460
18	पीलीभीत	191135849
19	शाहजहाँपुर	226281735
20	मुरादाबाद	180704420
21	अमरोहा	164656070

अनुदान संख्या-61 (धनराशि रु0 में)

क्र0सं0	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदेशन
1	2	3
22	रामपुर	179260070
23	बिजनौर	288709817
24	लखनऊ	229651888
25	रायबरेली	206702748
26	अमेठी	222590615
27	हरदोई	327065372
28	उन्नाव	253724414
29	सीतापुर	364297545
30	खीरी	329954076
31	फैजाबाद	215689824
32	अम्बेडकरनगर	206702748
33	सुल्तानपुर	219701912
34	बाराबंकी	279080806
35	गोण्डा	268007445
36	बलरामपुर	176692334
37	बहराइच	250354260
38	श्रावस्ती	113782802
39	इलाहाबाद	381629762
40	कौशाम्बी	173482664
41	फतेहपुर	224195450
42	प्रतापगढ़	259341336
43	वाराणसी	212159187
44	चन्दौली	174124598
45	गाजीपुर	280043708
46	जौनपुर	351458865
47	मिर्जापुर	226121252
48	सोनभद्र	225318834
49	सन्तरविदासनगर (भदोही)	152780292
50	हमीरपुर	131435987
51	बांदा	167705258

अनुदान संख्या-61 **(धनराशि रु0 में)**

क्र0सं0	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदेशन
1	2	3
52	चित्रकूट	141385964
53	महोबा	125337614
54	गोरखपुर	302511398
55	महाराजगंज	216331758
56	देवरिया	238157514
57	कुशीनगर	271056632
58	बस्ती	208147100
59	संतकबीरनगर	160643984
60	सिध्दार्थनगर	203011628
61	आजमगढ़	354508052
62	मऊ	177494750
63	बलिया	247144590
64	कानपुर नगर	168989126
65	कानपुर देहात	201085826
66	फर्रूखाबाद	167384290
67	कन्नौज	160964950
68	इटावा	160002050
69	औरैया	155829479
70	झांसी	167544774
71	ललितपुर	151977875
72	जालौन	150212556
73	शामली	144114182
74	सम्भल	180383454
75	हापुड़	198518090
	योग	**16048350000**

(रुपये एक हजार छः सौ चार करोड तिरासी लाख पचास हजार मात्र)